



No. dmrc/e/mrhru/56/tender/vehicle hiring/2015M0031 VOL. II/  
Dated 06.12.2021

Cost of Tender Document Rs. 500/-

## TENDER DOCUMENT

FOR

VEHICLE HIRING

AT

MODEL RURAL HEALTH RESEARCH UNIT BHANPUR KALAN, JAIPUR

(HEADQUARTER:- NIIR-NCD, NEW PALI ROAD JODHPUR

### Time schedule for tender process:

Date of publication of tender notification on official website and CPP portal	06.12.2021
Last date for Submission of tender document	<b>28.12.2021 5:30 PM</b>
Date and Time of the opening of Tender Document	<b>29.12.2021 11:00 AM</b>
Place of tender document submission	NIIR-NCD JODHPUR

*Note: This tender document contains 19 pages (total no. of pages including Annexures) and tenderers are requested to sign on all the pages.*

- **All the correspondence should be done with NIIRNCD only.**
- In case of any discrepancy in English and Hindi tender, bidders are advised to follow the Terms and Conditions of tender published in English.



## **INTRODUCTION:**

The National Institute for Implementation Research in Non Communicable Diseases came into existence on 07<sup>th</sup> December 2019. The institute is located in Jodhpur and it replaces the erstwhile Desert Medicine Research Centre. The institute has state of the art facility to conduct basic laboratory based research in its microbiology, biochemistry and vector biology laboratories. The institute is acquiring manpower and facilities for strengthening its capacity for conducting implementation research in non- communicable diseases. At present, the institute has a set of 10 dedicated scientists, 9 technical experts, ably supported by 28 administrative and support staff. The thrust areas of research are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, environmental health, nutritional disorders, cancers, injury & trauma, mental illnesses including substance abuse, genetic diseases and other non-communicable diseases of public health significance in India. The institute aspires to carry out implementation research in the thrust areas, provide training for capacity building in implementation research in other academic and research institutions, develop behavior change communication materials and models for tackling risk factors of various non communicable diseases. The institute heartily welcomes collaboration with institutions and individuals with interest in augmenting the thrust areas.

MRHRU Scheme of DHR, MoHFW was launched in 2013 and it aims at taking the modern health care technology to rural people. The objective of the setting up of MRHRU in different states of India by the Department of Health Research is to strengthen the health research infrastructure in the rural set up, aiming at transfer of modern technologies to the rural areas for diagnosis and better management of diseases. 15 MRHRUs established in various States in a 1<sup>st</sup> Phase. Each MRHRU has been set up in proximity to the state health facility (Community / Primary Health Centre at block level). The MRHRU of Rajasthan has been established at Bhanpur Kalan village of Jaipur District. MRHRU, Rajasthan has the three key partners: (1) State Health Service, (2) NIIRNCD, Jodhpur, (3) SMS Medical College, Jaipur. The unit is situated in the Premises of Community Health Centre, Bhanpur Kalan, on Jaipur-Delhi Highway. Bhanpur Kalan is situated between Kukas and Achrol.



## **NOTICE INVITING TENDER:**

### **FOR SELECTION OF AGENCY/INDIVIDUAL FOR PROVIDING HIRED VEHICLE AT MRHRU BHANPUR KALLAN, DIST. JAIPUR.**

The Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur (NIIRNCD, JODHPUR) invites tenders in sealed cover under two-bid system from reputed and experienced agencies for hiring of vehicles on Daily/Outstation basis for field rural /urban areas as per the requirements through website <https://niirncd.icmr.org.in/> and CPP Portal <https://eprocure.gov.in/> as detailed in the Tender document for our centre located at Bhanpur kallan, Jaipur. Any future clarification and/or corrigendum(s) shall be communicated through the website <https://niirncd.icmr.org.in/>

The technical bid (Annexure-01) and the financial bid (Annexure-02 ( i to ii) should be sealed by the bidder/service providers in separate covers duly super-scribed and both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be sealed and duly super-scribed. On the outer envelope must be super-scribed “Tender for Hiring of Vehicles at MRHRU BHANPUR KALLAN, JAIPUR”.

### **SCOPE OF WORK**

1. To Provide Vehicles on Daily/Outstation Basis for field areas as per requirement.

### **Qualifying bid (The list of the documents to be submitted with technical bid)**

1. Bidder's Profile (As in Annexure I) and Declarations/Letters as in Annexure-II to VI.
2. Self-Attested copy of Registration of firm/company.
3. Self-Attested copy of Experience certificate issued by Central/State Government/ Public Sector companies for Two years or more during the last five years.
4. Self-Attested copy of PAN card of firm/company.
5. Self-Attested Copy of the IT return filed for the last financial year 2020-21.
6. Self-Attested Copy of GST registration certificate.
7. Self-Attested Copy of Registration Certificate/Lease deed copy of at least one Commercial Vehicle of Itios/Swift Dzire or equivalent category of model not older than year 2018
8. Self-Attested copy of document showing current insurance of the vehicle as in no. 7 above.
9. DD of Rs. 500/- for the cost of bid document in favour of “Director, Desert Medicine Research Centre” Payable at Jodhpur.

**All the documents mentioned above are for establishing the eligibility and non submission of these documents will result in rejection of the tender. Contractors are advised to indicate page number of above enclosure in index.**



## General terms and conditions

1. The tender must reach at following address on or before **28.12.2021 5:30 PM**.

**The Director**

**National Institute for Implementation Research on Non-communicable Diseases,  
New Pali Road, Jodhpur-342005.**

2. The technical bids will be opened by the Concerned Committee on **29.12.2021 at 11:00 AM** in the presence of representatives of the bidders. At the second stage, financial bids of the technically qualified Bidders will be opened for further evaluation and ranking before awarding the contract.
3. Availability of the vehicle must be 24x7 basis along with medically fit drivers.
4. Vehicles will be under the control of Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur during the hiring period of the vehicle.
5. Vehicles may be used for the interstate travels, if required.
6. The rates to be quoted are to be filled in the Performa given at **Annexure-2 (i to ii)**.
7. All vehicles should be fast tagged.
8. In case MRHRU/NIIRNCD requires more vehicles at a time it will be the responsibility of the contractor to manage the same from anywhere.
9. NIIRNCD reserves the right to cancel the bids or for any particular vehicle without assigning any reason.
10. The bidder has to quote for all types/categories as per **Annexure-2 (i to ii)**.
11. **The selection would be done on basis of lowest rate for individual vehicle and NIIRNCD Jodhpur will award the contract accordingly.**
12. After due evaluation of the bid(s) NIIRNCD Jodhpur will award the contract to the lowest evaluated responsive tenderer at MRHRU, Bhanpur Kallan, Jaipur. Conditional bid will be treated as unresponsive and will be rejected.
13. The tender is not transferable. Only one tender shall be submitted by one bidder.
14. The contract is valid for providing services of vehicle hiring and at no point of time any or all of the Staff of Transporter shall raise a claim for employment in the MRHRU/NIIRNCD.
15. **Earnest Money:**  
In term of Para-4 of Department of Expenditure/s OM No. F.9/4/2020-PPD dated 12.11.2020; all bidders are exempted from submission of Bid Security/Earnest Money Deposit. Accordingly, bidders may submit the "**Bid Security Declaration**" in the prescribed format given in Annexure- VI in place of Bid Security/Earnest Money deposit.



**16. Exemption in Bid Security Declaration:-**

All bidders shall have to deposit the Bid Security Declaration except Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in the MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organisation or concerned Ministry of Department or Startups as recognized by Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) in term of Department of Expenditure (DoE), Ministry of Finance's OM No. F.20/2/2014-PPD (Pt.) dated 25.07.2017. For availing exemption, the concerned firm/agency shall have to submit Valid Registration Certificate with the Tender Document failing which it will not be considered for exemption.

**17. Security Deposit:**

The successful bidder will have to deposit a Performance Security (Security Deposit) within 7 days from the date of acceptance of the tender Rs 30000/- (Rupees Thirty thousand only ) in the form of Demand Draft / Fixed deposit Receipt/Bank Guarantee from a Nationalized bank for the amount valid for the period extending at least six months beyond the date of completion of the contract drawn in favour of “ Director, Desert Medicine Research Centre” Payable at Jodhpur. The Security Deposit will be refunded on successful completion of the contract. No interest is payable on the Security Deposit.

**18. Forfeiture of Security Deposit**

18.1 The Fixed deposit Receipt / Bank Guarantee / demand draft can be forfeited by order of the competent authority in the event of any breach or negligence or non-observance of any terms/condition of contract or for unsatisfactory performance or for non-acceptance of the work order. On expiry of the contract, such portion of the said Fixed deposit Receipt/Bank Guarantee/demand draft as may be considered by this office, sufficient to cover any incorrect or excess payments made on the bills to the firm, shall be retained until the final audit report on the account of firm's bill has been received and examined.

18.2 If the work is not commenced on the date of starting the work after work is awarded to the contractor.

18.3 Unsatisfactory performance

18.4 Non-performance of the contractor.



## 19. Penalties:

19.1 In case of breach of any conditions of the contract and for all type of losses caused including excess cost due to hiring of vehicle from the market in the event of Contractor failing to provide requisitioned vehicle or not providing vehicle, competent authority shall make deductions at double the rate of hiring rate on pro-rata basis from the bills claimed by the Contractor or that may become due to the contractor under this or any other contract or from the security deposit or may be demanded from him to be paid within seven days to MRHRU.

19.2 In addition, penalties as per terms and conditions of this tender document are also applicable on case to case basis.

19.3 The powers of the competent authority under these conditions shall in no way affect or prejudice the powers in certain events to terminate the contract vested in him as herein provided nor forfeiture of deposit mentioned above.

## 20. Disclaimer:

The near relatives of employees of this office are prohibited from participation in this tender.

The near relatives for this purpose are defined as:-

- (a) Members of a Hindu Undivided Family.
- (b) Their husband or wife.
- (c) The one is related to the other in the manner as father, mother, son(s), son's wife (daughter-in-law), Daughter(s) & daughter's husband (son-in-law), brother(s) & brother's wife, sister(s) and sister's husband (brother-in-law).

## 21 Breach of Terms and Conditions:

In case of breach of any of terms and conditions mentioned in this NIT, the competent authority will have the right to cancel the contract without assigning any reason thereof, and nothing will be payable by this office in that event and the security deposit in the form of Bank Guarantee/Demand Draft/ Fixed Deposit Receipt shall be encashed / forfeited including black listing of the contractor for a period as decided by the competent authority.

## 22. Subletting of Work:

The firm/party shall not assign or sublet the work or any part of it to any other person or party without having first obtained permission in writing of the competent authority who will be at liberty either to refuse or accept the same.



### **23. Terms of payment:**

- 23.1 No Payment shall be made in advance or any loan from any bank or financial institution shall be recommended on the basis of the order of award of work. Payment of bills would take about two weeks time on an average from the date of submission of the bill.
- 23.2 The contractor shall submit the bills at each stage/in the first week of following month in respect of previous month (in case of monthly payments) for sanction of the amount of bill and passing the bill for payment. The GST remittance, if any, in respect of the previous month may also be attached along with the current month's bill.
- 23.3 All payments shall be made by cheques/PFMS only, in the name of the firm/company.
- 23.4 The competent authority shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject to recovery of penalties mentioned in preceding paragraph.
- 23.5 The term “payment” mentioned in this paragraph includes all types of payment due to the contractor arising on account of this contract excluding Earnest Money and Security Deposit governed by the separate clauses of the contract.
- 23.6 If the AC system of car becomes defective a penalty of Rs 500/- per day will be imposed.
- 23.7 The maintenance cost, charges of petrol, road tax, permit fee, passenger tax, border tax, challans, salary of the driver, the overtime of driver etc. are the responsibility of the contractor for which no payment shall be made by this office.
- 23.8 Parking charges, Toll charges shall be paid extra as per actual on production of documentary evidence.
- 23.9 The bill in duplicate along with duty slips/ log book duly signed and stamped by the user and transport in charge of MRHRU should be sent to NIIRNCD for payment by 1st week of the following month.
- 23.10 No payment shall be made to contractor if vehicle provided to MRHRU are not as per tender conditions.

### **24. PERIOD OF THE CONTRACT:-**

- 19.1 The contract will be initially for a period of one year and may be extended on satisfactory performance of the agency for a period of another one year at the discretion of the Director, NIIR-NCD Jodhpur.
- 19.2 The contract is liable to be terminated after giving at least one month's notice in writing with reasons from either side in the normal course.



19.3 In case of unsatisfactory performance, the contract of any person may be terminated at any time at the discretion of the Director.

19.4 Agreement shall be executed by the vendor immediately (within 1 Week) upon acceptance of the tender and receipt of orders from the Director.

## **25. VEHICLES:-**

25.1 All repairs and maintenance, running costs, fuel, lubricants, salaries of drivers, taxes, etc. necessary for the running & maintenance of vehicle will be borne by the contractor.

25.2 Contractor shall not deploy any vehicle running on LPG/CNG.

25.3 Vehicles should be fitted with needed accessories to drive on State and National highways including during the nights. Fog lights are to be fitted while driving in foggy areas.

25.4 Vehicles should also be fitted with Toeing hook.

25.4 Contractor shall obtain vehicle fitness certificate from competent authority, vehicle registration, comprehensive insurance, payment of road tax, inter-state permit, etc. Vehicle should be able to move freely to the neighboring States without any restrictions.

25.5 Contractor shall provide valid certificate of pollution check for the vehicle from the concerned authorities and the same shall be renewed well before the due date.

25.6 All vehicles shall be comprehensively insured against all risks (including the driver and occupants). Insurance policy shall be renewed well before the due date.

25.7 In case of non-availability or technical problem of the specified vehicle, the contractor can provide an alternate vehicle of equivalent or above status/make/model, in lieu of the assigned vehicle temporarily within 1 hour's notice but the payment will be released according to the approved rates to the contractor. A penalty up to Rs.1000/- per hour shall be imposed on the contractor in case of failure to do so, in addition to the penalty mentioned in Para 19 above.

25.8 The vehicle being sent by the tenderer will be regularly inspected by the officer nominated for the purpose and in case of non-compliance of any of the conditions, a penalty up to Rs.1000/- each such incident shall be imposed on the contractor.

25.9 The vehicle registered under Taxi Permit only should be provided. Private vehicle shall not be accepted and payment for such vehicle will not be made.

25.10 The vehicle will meet all the necessary compliance of statutory requirements like pollution, emission, noise etc.

25.11 The provided vehicle must be fully and comprehensively insured covering the risk to the driver.





- 25.12 More than one vehicle depending upon the requirement can be called at any time during the day or night. The additional vehicle should be provided at the same rates.
- 25.13 The vehicle sent to the office on requisition must have all relevant documents like registration book/driving license/insurance road tax/receipt permit fee/ passenger tax/border tax/toll tax/PUC etc. The vehicle should be licensed and shall conform to all Government Rules and Regulations being in force from time to time.
- 25.14 **The details of vehicle along with photocopies of registration book/RC should be attached with the tender (Qualification Bid).**
- 25.15 Vehicle to be provided by the Contractor should be in perfectly sound working condition and suitable for use by Senior Officers. Dirty, noisy, and poorly maintained vehicle will be rejected and no payments shall be made for the same.
- 25.16 In case of any accident to the vehicle, it will be the responsibility of the contractor or his representative (drivers) to lodge FIR etc. with police. All RTO issues and Traffic violations are to the account of contractor.
- 25.17 Vehicle should carry portable fire extinguisher and first aid box.

## **26 Contractors**

- 26.1. Contractor shall in no case lease/transfer/sublet/appoint caretaker for services.
- 26.2. The contractor should have satisfactory experience certificate of two years or more in a similar service contract issued during the last five years by competent authority of Central/State Government/ Public Sector companies.
- 26.3. The contractor shall be responsible for all communication with the officers. For this purpose he should have a proper office with telephones and personnel to take the calls.
- 26.4. Unsatisfactory or unprofessional behavior shall result in termination of the contract. Non-adherence to the quality of service and terms and conditions mentioned herein shall result in termination of the contract immediately, with encashment of the security deposit.
- 26.5. Contractor shall be directly responsible for any/all disputes arising between him and his personnel and keep this office indemnified against all actions, losses, damages, expenses and claims whatsoever arising thereof.
- 26.6. Contractor shall be solely responsible for payment of wages/salaries other benefits and allowances to his personnel that might become applicable under any Act or Order of the Govt. NIIRNCD/MRHRU shall have no liability whatsoever in this regard and the Contractor shall



indemnify NIIRNCD/MRHRU against any/all claims, which may arise under the provisions of various Acts, Governments Orders etc.

- 26.7. Contractor shall be fully responsible for theft, burglary, fire, accidents, traffic rule violations or any other unlawful acts/deeds by his staff.
- 26.8. The contractor shall be fully responsible for any loss or damage to the vehicle and also liable to pay full compensation for any injury or any other loss to passengers.
- 26.9. Only such contractors may apply whose vehicle have been duly authorized by the concerned RTO for use as public transport.
- 26.10. The contractor must have trained drivers on their employee roll.
- 26.11. In case of violation of any of the terms and conditions mentioned in this tender document, competent authority reserves the right to terminate the contract immediately and award the same to the second lowest bidder (L2) or third lowest bidder (L3) at the rates of L1, depending on the situation. In such cases, no payments (pending or future) shall be released against the original contract.
- 26.12 The tampering of meter reading, vehicle usage timings, overwriting of log sheet, misconducts and other such acts shall be penalized heavily, including termination of the contract and forfeiting of the security deposit.

## **27. Drivers**

- 27.1. The contractor will provide well-behaved drivers having knowledge of different routes, as well as minor repair of cars and valid driving license and also having proper uniforms and name badge.
- 27.2. The driver should always be carrying a mobile phone.
- 27.3. No charges will be given for breakfast/lunch/dinner/tea etc. to the driver. Driver should bear the cost of the same at his own in every situation whether it's local or outstation.
- 27.4. Driver of the vehicle requisitioned by this office will report to the officer to whom the vehicle is allotted.
- 27.5. Within office premises, the driver shall not leave the office/duty without permission and shall not do any private work other than the normal duties. If the driver is found to be absent from the duty, it will be taken as non-availability of the vehicle and suitable penalties shall be imposed.
- 27.6. The driver will do the maintenance work, re-fueling etc as per requirement in advance. Doing such jobs during duty shall attract a penalty amounting to the deduction of the whole day's payment on each such incident.



- 27.7. The driver must be punctual and arrive on specified time on specified location. Substantial and repeated delays shall attract a penalty amounting to the deduction of the whole day's payment on each such incident basis.
- 27.8. Drivers must not use their mobile phones or stop for personal works while driving. Violations of traffic rules will attract a penalty amounting to the deduction of the whole day's payment on each such incident.
- 27.9. Drivers must not go on leave without informing the officer and contractor well in advance and it will be the responsibility of the contractor to provide a substitute immediately. Violations shall attract a penalty amounting to the deduction of the whole day's payment on each such incident.
- 27.10. The personnel engaged by the contractor are subject to security check by the Security Staff at any time.
- 27.11. The drivers may be asked to do overtime and may be called on holidays/weekends and at odd times depending on the necessity and he should be prepared for such events. It will be the contractor's responsibility to provide a substitute immediately, if the driver refuses or is unable to do so. Failure will attract a penalty of Rs. 1000/- on each such incident.
- 27.12 Drivers should carry sufficient cash for discharging obligations on account of parking charges, toll taxes etc. Such expenditure can be claimed as reimbursement by the contractor. Proper supporting documents would have to be submitted along with such claims.
- 27.13 Lodging, boarding, transportation of drivers shall be the contractor's responsibility.
- 27.14 Driver should be well qualified and should be able to read and write and have minimum three years of experience as driver.
- 27.15 Driver should be alert /careful enough to take care of items/materials kept in the vehicles.

## **28. Prices**

- 28.1 Rates charged by the Service Provider for the services given under the contract shall not be higher than the rates quoted by the Service Provider in his bid.
- 28.2 No escalation is admissible on any account whatsoever during the first six months of the contract. After six months of contract increase or decrease in hiring charges due to variation in Fuel rates will be worked out and paid only when the variation to base rate is above ( + or - )10%. Such increase or decrease in the hiring charges due to these variations shall be worked out from the base rate based on following formula:

Increase or decrease in Petrol/Diesel during the month =



Actual KMs run by the vehicle X (Revised rate per litre - Base rate per litre)

Average KM per liter of Diesel or Petrol consumption (KMPL)

Note:-The Base Rate of Petrol/Diesel is the prevailing rate on the date of commencement of work / contract.

The Average KMPL is to be assumed as following:

S.No.	Vehicle Type	Fuel type	Mileage (in Km/Litre)
1	Itios/Swift Dezire etc.	Petrol	18
		Diesel	20
2	Mahindra Bolero etc.	Petrol	10
		Diesel	12
3	Toyota Innova etc.	Petrol	08
		Diesel	10
4	Bolero Pickup etc.	Petrol	08
		Diesel	10
5	Tempo Traveller 17 Seater	Diesel	06

Note:- If there is decrease in Fuel Price, formula will indicate negative figure which means the hire charges would be reduced to that extent.

28.3 Base Rate of fuel would be fuel prices as on date of award of contract, which would be set out on the agreement, to be executed on award of the service.

29. The Content/event of amendment shall be notified through NIIRNCD website and these amendments will be binding on all prospective bidders.

30. All disputes arising out of this contract shall be subjected to the jurisdiction of the Rajasthan High court, Jodhpur only.

Director



ANNEXURE-I

**BIDDER'S PROFILE  
(On Bidder's Letter head)**

1	Name of Tendering Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration)	
2	Type of firm i.e. Proprietorship / partnership or company registered under company act 1956 (Attach Self Attested copy)	
3	Name of proprietor / Director of Company/Firm/agency	
4	Full Address of Registered Office with Telephone No., FAX No. & E-Mail	
5	Full address of Operating/Branch Office with Telephone No., FAX No. & E-Mail	
6	PAN / GIR/TAN No (Attach Self Attested copy)	
7	GST Registration No. (Attach Self Attested copy)	

8. Self-Attested copy of experience certificate / certificates issued by the competent authority for the satisfactory work carried out in supplying of vehicle to Central/State Government/ Public Sector companies for one year or more during the last five years. The summary of that can be tabulated in the given format in chronological order:-

S.N.	Details of client along with address, telephone and FAX numbers	Amount of Contract (Rs. lakhs)	Experience certificate for the period	
			From	To
1				
2				
3				

(If the space provided is insufficient, a separate sheet may be attached)

9. Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)

- Name:
- Date:
- Place:

•Signature of authorized person

• Seal:



ANNEXURE-II

**DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/ NON-BLACKLISTING FROM TAKING  
PART IN GOVT.TENDER BY DOT/GOVT. DEPT  
(On Bidder's Letter head)**

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----  
-----hereby declare that the firm/company namely M/S.-----  
-----has not been blacklisted or debarred in the past by NIIRNCD  
or any other Government organization from taking part in Government tenders.

**Or**

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----  
-----hereby declare that the firm/company namely M/S.-----  
-----was blacklisted or debarred by NIIRNCD, or any  
other Government Department from taking part in Government tenders for a period of -----years  
w.e.f.----- . The period is over on -----and now the firm/company is entitled to take  
part in Government tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/ contract will be  
rejected/cancelled Director, NIIRNCD, Jodhpur and EMD/SD shall be forfeited.

In addition to the above, Director, NIIRNCD, Jodhpur will not be bound to pay the bills for any  
completed / partially completed work.

Signature -----

Date:

Name -----

Seal of the firm should be affixed.

Capacity in which as signed:

Name & address of the firm:



ANNEXURE-III

**DECLARATION**

**FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN NIIRNCD, JODHPUR  
(On Bidder's Letter head)**

I.....S/O Sh.....  
R/o.....Hereby certify that none of my relative (s) as  
defined in the tender document is/are employed in NIIRNCD, Jodhpur as per detail given below. In case  
at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, NIIRNCD shall have the  
absolute right to take any action as deemed fit, without any prior intimation to me.

Signature of the tenderer with seal

The near relative (s) means:

- Members of a Hindu Undivided family;
- Spouse.
- Father, mother, sister, Sister-in-law, Daughter, Daughter-in-law, brother, brother-in-law etc.

In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of partnership firm,  
certificate will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the  
company or company secretary on behalf of all directors. Any breach of these conditions by the company  
or firm or any other person, the tender/work will be cancelled and earnest money/security deposit will be  
forfeited at any stage whenever it is so noticed. The department will not pay any damages to the company  
or firm or the concerned person. The company or firm or the persons will also be debarred for further  
participation in the concerned unit.

Place:

Signature of tenderer/Authorized

Signatory

Date:

Name of the Tenderer

Seal of the Tenderer



ANNEXURE-IV

**DECLARATION**

**(On Bidder's Letter head)**

FOR NON-TAMEPRING OF DOWNLOADED TENDER DOCUMENT FROM WEB SITE

I.....(authorized signatory) hereby declare that the tender document submitted has been downloaded from the website <https://eprocure.gov.in/> <https://niirnncd.icmr.org.in/> and no addition / deletion / correction has been made in the downloaded document. I also declare that I have enclosed a DD for Rs..... towards the cost of tender document along with the EMD.

Place:

Signature of tenderer/Authorized

Signatory

Date:

Name of the Tenderer

Seal of the Tenderer





ANNEXURE-V

**DECLARATION**  
**(On Bidder's Letter head)**

LETTER OF AUTHORISATION FOR ATTENDING THE OFFICE

To,  
Director,  
NIIRNCD, New Pali Road,  
Jodhpur.

Sub: Authorization for attending the office on \_\_\_\_\_ (date) in the Tender of  
\_\_\_\_\_

Sir,

Following person is authorized to attend the office for the tender mentioned above on behalf of  
\_\_\_\_\_ (Bidder).

Name of the Representative

Specimen Signature

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature of the Bidder

(Maximum one representative will be permitted to attend the office. Permission for entry to the office may be refused in case authorization as prescribed above is not received.)



**Bid Security Declaration**

**(On Bidder's Letter head)**

To,  
 The Director,  
 National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases (NIIRNCD),  
 New Pali Road, Jodhpur 342005

Reference: 1) Tender No.----- Dated

2) Our bid No. ----- Dated

Sir,

I/We, ----- irrevocably declare as under:

I/We understand that, as per tender condition bid must be supported by a Bid Security Declaration in lieu of Earnest Money Deposit.

I/We hereby accept that I/We may be disqualified/suspended from bidding for any contract with you for a period of one year from the date of disqualification/suspension as may be notified by you if,

- 1) I am/We are in a breach of any of the obligations under the bid conditions,
- 2) I/We have withdrawn or unilaterally modified/amended/revised, my our Bid during the bid validity period specified in the form of Bid or extended period, if any.
- 3) On acceptance of my/our bid, I/we fail to deposit the prescribed security deposit of fail to execute the agreement or fail to commence the execution of the work in accordance with the terms and conditions and within the specified time.

Signature:

Name & designation of the authorized person signing the Bid-Security Declaration Form:

-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of : -----

----- (Complete name of Bidder)

Dated on ----- day of ----- month, ----- year

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Security Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid).



**FINANCIAL BID**

Annexure-2(i)

**Rates for Daily Basis:**

Name of Vehicle	Minimum Running	Rates with AC	GST	Rate per Km after 250 kms	Rate per hour after 08 Hours
Itios/Swift Dzire or equivalent	250 kms 08 Hours daily				
Mahindra Bolero or equivalent	250 kms 08 Hours daily				
Toyota Innova or equivalent	250 kms 08 Hours daily				
Tempo Traveller 17 Seater or equivalent.	250 kms 08 Hours daily				

- The GST applicable must be clearly mentioned

**FINANCIAL BID**

Annexure-2(ii)

**Rates for Monthly Basis:**

Name of Vehicle	Minimum Running	Rates with AC	GST	Rate per Km after 2000 kms
Itios/Swift Dzire or equivalent	2000 Kms Monthly			
Mahindra Bolero or equivalent	2000 Kms Monthly			
Toyota Innova or equivalent	2000 Kms Monthly			
Tempo Traveller 17 Seater or equivalent.	2000 Kms Monthly			

- The GST applicable must be clearly mentioned



सं. डी.एम.आर.सी./ई./एम.आर.एच.आर.यू./56/निविदा/किराए पर वाहन/2015एम.0031 वोल्युम II  
दिनांक 06.12.2021

निविदा दस्तावेज की लागत रु. 500/-

किराए पर वाहन लेने के लिये

निविदा दस्तावेज

आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई, भानपुर कलां, जयपुर  
(मुख्यालय:- राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान  
(एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी.), नई पाली रोड जोधपुर)

निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारिणी:

आधिकारिक वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	06.12.2021
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	<b>28.12.2021 5:30 PM</b>
निविदा दस्तावेज खोलने की तिथि और समय	<b>29.12.2021 11:00 AM</b>
निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान	राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

नोट: इस निविदा दस्तावेज में 19 पृष्ठ हैं (अनुलग्नकों सहित पृष्ठों की कुल संख्या) और निविदाकारों से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाता है।

• सभी पत्राचार केवल एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के साथ ही किया जाना चाहिए।



## परिचय:

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान 7 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आया। यह संस्थान जोधपुर में स्थित है और इसका पूर्ववर्ती नाम “मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र” था, जो बदल गया है। संस्थान के पास सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन और वेक्टर जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में बुनियादी प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा है। संस्थान असंचारी रोगों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने के लिए अपनी क्षमता को सशक्त बनाने हेतु जनशक्ति और सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, संस्थान में 10 समर्पित वैज्ञानिकों, 9 तकनीकी विशेषज्ञों का एक समूह है, जो 28 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों द्वारा योग्यतापूर्वक समर्थित है। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र भारत में जन स्वास्थ्य महत्व के हृदय रोग, सांस की पुरानी बीमारियां, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकार, कैंसर, चोट और आघात, मादक द्रव्यों के सेवन सहित मानसिक बीमारियां, आनुवंशिक रोग और अन्य असंचारी रोग हैं। संस्थान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने, अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यान्वयन अनुसंधान के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न असंचारी रोगों के जोखिम कारकों से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और मॉडल विकसित करने की इच्छा रखता है। संस्थान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के साथ सहभागिता के लिए हार्दिक स्वागत करता है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एम.आर.एच.आर.यू.) योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल तकनीक को ग्रामीण लोगों तक ले जाना है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एम.आर.एच.आर.यू.) की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसका लक्ष्य आधुनिक तकनीकों को ग्रामीण क्षेत्रों में निदान और रोगों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्थानांतरित करना है। पहले चरण में विभिन्न राज्यों में 15 एम.आर.एच.आर.यू. स्थापित किए गए। प्रत्येक एम.आर.एच.आर.यू. राज्य की स्वास्थ्य सुविधा (ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) के निकट स्थापित किया गया है। राजस्थान के एम.आर.एच.आर.यू. की स्थापना जयपुर जिले के भानपुर कलां गांव में की गई है। एम.आर.एच.आर.यू., राजस्थान के तीन प्रमुख भागीदार हैं: (1) राज्य स्वास्थ्य सेवा, (2) एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर, (3) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर। यह इकाई जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भानपुर कलां के परिसर में स्थित है। भानपुर कलां कूकस और अचरोल के बीच में है।

## निविदा आमंत्रण सूचना:

**आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एम.आर.एच.आर.यू.), भानपुर कलां, जिला जयपुर में किराए के वाहन उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी/व्यक्ति के चयन हेतु**

निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर) भानपुर कलां, जयपुर में स्थित अपने केंद्र के लिए वेबसाइट <https://niirncd.icmr.org.in/> और सीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in/> के माध्यम से आवश्यकतानुसार दैनिक/ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए बाहरी आधार पर निविदा दस्तावेज़ में दिए गए विवरण के अनुसार वाहनों को किराए पर लेने के लिए (अनुलग्नक 2(i) से 2 (iii) के अनुसार) प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के तहत सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित करता है। भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण और/या शुद्धिपत्र को वेबसाइट <https://niirncd.icmr.org.in/> के माध्यम से सूचित किया जाएगा।



तकनीकी बोली (अनुलग्नक-01) और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-02 (i से ii) को बोलीदाता/सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग लिफाफों में विधिवत ऊपर अंकित करके सील किया जाना चाहिए और इन दोनों सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उसे भी सील किया जाना चाहिए और विधिवत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर " आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एम.आर.एच.आर.यू.), भानपुर कलां, जयपुर में वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए।

### **कार्य-क्षेत्र**

1. आवश्यकता अनुसार फील्ड क्षेत्रों के लिए दैनिक/बाहरी आधार पर वाहन उपलब्ध कराना।

### **बोली योग्यता (तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची)**

1. बोलीदाता की प्रोफाइल (अनुलग्नक I के अनुसार) और अनुबंध-II से VI तक की घोषणाएं/पत्र।
2. फर्म/कंपनी के पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति।
3. पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दो साल या उससे अधिक के अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
4. स्वयं सत्यापित फर्म / कंपनी के पैन कार्ड की कॉपी।
5. पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दर्ज किए गए आयकर विवरण की स्व-सत्यापित प्रति।
6. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
7. प्रत्येक श्रेणी के कम से कम तीन वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र / लीज डीड की स्व-सत्यापित प्रति, परंतु कोई भी मॉडल वर्ष 2018 से पुराना ना हो।
8. वाहन के वर्तमान बीमा को दर्शाने वाले दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति, जैसा कि ऊपर क्रमांक 7 में है।
9. बोली दस्तावेज की लागत के लिए जोधपुर में देय "निदेशक, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर" के पक्ष में 500 / -रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेज पात्रता स्थापित करने के लिए हैं और इन दस्तावेजों को जमा न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुक्रमणिका में उपरोक्त संलग्नक की पृष्ठ संख्या इंगित करें।

### **सामान्य नियम और शर्तें**

1. निविदा निम्नलिखित पते पर **दिनांक 28.12.2021 5:30 PM तक** या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए :

**निदेशक**

**राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यावयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर,**

**नई पाली रोड, जोधपुर-342005**



2. तकनीकी बोलियां दिनांक 29.12.2021 11:00 AM को संबंधित समिति द्वारा बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। । दूसरे चरण में, अनुबंध प्रदान करने से पहले, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां आगे के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए खोली जाएंगी।
3. वाहन की उपलब्धता चिकित्सकीय रूप से फिट वाहचालकों के साथ 24x7 आधार होनी चाहिए।
4. वाहन किराए पर लेने की अवधि के दौरान वाहन निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नियंत्रण में होंगे।
5. यदि आवश्यक हुआ तो अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।
6. उद्धृत की जाने वाली दरें अनुलग्नक-2 (i से ii) में दिए गए प्रोफार्मा में भरी जानी हैं।
7. सभी वाहनों पर फास्ट टैग लगा होना चाहिए।
8. यदि एम.आर.एच.आर.यू./एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को एक ही समय में अधिक वाहनों की आवश्यकता हुई, तो कहीं से भी इसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. एनआईआईआरएनसीडी बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों या किसी विशेष वाहन के लिए बोली को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. बोलीदाता को अनुलग्नक-2 (i से ii) के अनुसार सभी प्रकार/श्रेणियों के लिए उद्धरण देना होगा।
11. चयन विशिष्ट वाहन के लिए न्यूनतम दर के आधार पर किया जाएगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. जोधपुर तदनुसार अनुबंध प्रदान करेगा।
12. बोली (बोलियों) के उचित मूल्यांकन के बाद एनआईआईआरएनसीडी जोधपुर सबसे कम मूल्य वाले उत्तरदायी निविदाकार को एम.आर.एच.आर.यू., भानपुर कलां, जयपुर में अनुबंध प्रदान करेगा। सशर्त बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
13. निविदा हस्तांतरणीय नहीं है। एक बोलीदाता द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जाएगी
14. अनुबंध वाहन किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के लिए वैध है और किसी भी समय ट्रांसपोर्टर का कोई भी या सभी कर्मचारी एम.आर.एच.आर.यू./एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में रोजगार के लिए दावा नहीं करेंगे।
15. **बयाना राशि:**  
व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.9/4/2020-PPD दिनांक 12.11.2020 के पैरा-4 के अनुसार ; सभी बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा/बयाना राशि जमा करने से छूट दी गई है। तदनुसार, बोलीदाता बोली सुरक्षा/बयाना राशि के स्थान पर अनुबंध-VI में दिए गए निर्धारित प्रारूप में "बोली सुरक्षा घोषणा" प्रस्तुत कर सकते हैं।

**16. बोली सुरक्षा घोषणा में छूट:-**

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी सूक्ष्म और लघु उद्यम खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों या व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या



F.20/2/2014-PPD (Pt.) दिनांक 25.07.2017 के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित विभाग या स्टार्टअप के साथ पंजीकृत हैं, को छोड़कर सभी बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा घोषणा जमा करनी होगी। छूट प्राप्त करने के लिए, संबंधित फर्म/एजेंसी को निविदा दस्तावेज के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

### 17. जमानत राशि:

सफल बोलीदाता को कार्य-निष्पादन जमानत (जमानत जमा) के रूप में निविदा की स्वीकृति की तिथि से 7 दिनों के अंदर जोधपुर में देय "निदेशक, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर" के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के रूप में रु. 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) जमा कराने होंगे, जो ठेके के पूरा होने की तारीख से कम से कम छह महीने की आगे की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। ठेका सफलतापूर्वक पूरा होने पर जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

### 18. जमानत राशि की जब्ती

18.1 सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध के किसी भी नियम / शर्त का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या कार्य आदेश की गैर-स्वीकृति के मामले में जब्त किया जा सकता है। अनुबंध की समाप्ति पर, उक्त सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट का ऐसा हिस्सा जैसा कि इस कार्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है, फर्म को बिलों पर किए गए किसी भी गलत या अधिक भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त हो, फर्म के बिल की लेखा परीक्षा फाइनल रिपोर्ट प्राप्त करने और उसकी जांच करने तक रखा जाएगा।

18.2 यदि ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य प्रारंभ करने की तिथि पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है।

18.3 असंतोषजनक प्रदर्शन

18.4 ठेकेदार का गैर-कार्य निष्पादन।

### 19. दंड:

19.1 अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में और यदि ठेकेदार अपेक्षित वाहन प्रदान करने में विफल रहता है या वाहन उपलब्ध नहीं कराता है, तो बाजार से वाहन किराए पर लेने के कारण अतिरिक्त लागत सहित सभी प्रकार के नुकसान के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार द्वारा दावा किए गए बिलों से या जो इस अनुबंध से या किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय हो सकते हैं या जमानत राशि से यथानुपात आधार पर किराए की दर को दोगुनी कटौती की





जाएगी या उससे सात दिनों के अंदर एम.आर.एच.आर.यू. को भुगतान करने की मांग की जा सकती है।

19.2 इसके अलावा, इस निविदा दस्तावेज़ के नियम और शर्तों के अनुसार दंड भी मामला दर मामला आधार पर लागू हैं।

19.3 इन शर्तों के तहत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां किसी भी तरह से उसमें निहित अनुबंध को समाप्त करने की और न ही ऊपर उल्लिखित जमानत की जब्ती करने की शक्तियों को प्रभावित या पूर्वाग्रहित नहीं करेंगी जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

## 20. अस्वीकरण:

इस कार्यालय के कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों का इस निविदा में भाग लेना वर्जित है।

इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

(क) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य।

(ख) उनके पति या पत्नी।

(ग) पिता, माता, पुत्र (पुत्रों), पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री (पुत्रियों) और पुत्री के पति (दामाद), भाई (भाईयों) और भाई की पत्नी, बहन (बहनें) और बहन का पति (जीजाजी) के रूप में एक दूसरे से संबंधित है।

## 21. नियमों और शर्तों का उल्लंघन:

इस निविदा में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होगा और उस स्थिति में इस कार्यालय द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के लिए ठेकेदार की काली सूची में डालने सहित उसकी बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट / सावधि जमा रसीद के रूप में जमा जमानत राशि को नकद के रूप में निकाल लिया जाएगा / जब्त कर लिया जाएगा।

## 22. कार्य किसी और को सौंपना (सबलेटिंग):

फर्म/पार्टी सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कार्य या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा, जो इसे अस्वीकार करने या स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

## 23. भुगतान की शर्तें:

23.1 कार्य प्रदान करने के आदेश के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से अग्रिम भुगतान या किसी ऋण की अनुशंसा नहीं की जाएगी। बिलों के भुगतान में बिल जमा करने की तारीख से औसतन लगभग दो सप्ताह का समय लगेगा।

23.2 ठेकेदार प्रत्येक चरण में पिछले महीने (मासिक भुगतान के मामले में) के संबंध में / अगले महीने के पहले सप्ताह में बिल की राशि की स्वीकृति और भुगतान के लिए बिल पास करने के लिए बिल



जमा करेगा। पिछले महीने के संबंध में जीएसटी के लिए भेजी गई रकम का विवरण, यदि कोई हो, को भी चालू महीने के बिल के साथ संलग्न किया जा सकता है।

- 23.3 सभी भुगतान फर्म/कंपनी के नाम पर केवल चेक/पीएफएमएस द्वारा किए जाएंगे।
- 23.4 सक्षम प्राधिकारी किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने के लिए स्वतंत्र होंगे बशर्ते कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित दंड की वसूली हो।
- 23.5 अनुबंध के अलग खंडों द्वारा शासित बयाना राशि और सुरक्षा जमा को छोड़कर इस पैराग्राफ में उल्लिखित शब्द "भुगतान" में इस अनुबंध के कारण ठेकेदार को होने वाले सभी प्रकार के भुगतान शामिल हैं।
- 23.6 यदि वाहन का एसी सिस्टम खराब हो जाता है तो 500/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 23.7 रखरखाव लागत, पेट्रोल के शुल्क, सड़क कर, परमिट शुल्क, यात्री कर, सीमा कर, चालान, चालक का वेतन, चालक का ओवरटाइम आदि ठेकेदार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 23.8 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वास्तविक के अनुसार पार्किंग शुल्क, टोल शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
- 23.9 उपयोगकर्ता और परिवहन प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगवाकर ड्यूटी पर्ची/लॉग बुक के साथ दो प्रतियों में बिल भुगतान के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह तक इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए।
- 23.10 यदि एम.आर.एच.आर.यू. को प्रदान किया गया वाहन निविदा शर्तों के अनुसार नहीं हुआ तो ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

#### **24. अनुबंध की अवधि:-**

- 24.1 अनुबंध शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और निदेशक, एनआईआईआर-एनसीडी जोधपुर के निर्णय के अनुसार एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन पर एक और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- 24.2 सामान्य स्थिति में दोनों ओर से कारणों के साथ कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 24.3 असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, किसी भी व्यक्ति का अनुबंध निदेशक के निर्णय पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- 24.4 निविदा की स्वीकृति और निदेशक से आदेश प्राप्त होने पर विक्रेता द्वारा अनुबंध तुरंत (1 सप्ताह के भीतर) निष्पादित किया जाएगा।

#### **25. वाहन:-**

- 25.1 वाहन के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी मरम्मत और रखरखाव, चलने की लागत, ईंधन, लुब्रिकेंट, ड्राइवरों का वेतन, कर आदि ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।



- 25.2 ठेकेदार एलपीजी/सीएनजी पर चलने वाले किसी वाहन नहीं लगाएगा।
- 25.3 राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर रात के समय में भी चलने के लिए वाहनों में आवश्यक सहायक उपकरण लगे होने चाहिए। धूमिल क्षेत्रों में वाहन चलाते समय फॉग लाइट लगाई जानी चाहिए।
- 25.4 वाहनों में टोइंग हुक भी लगाया जाना चाहिए।
- 25.4 ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, व्यापक बीमा, सड़क कर का भुगतान, अंतर-राज्यीय परमिट, आदि प्राप्त करेगा। वाहन बिना किसी प्रतिबंध के पड़ोसी राज्यों में स्वतंत्र रूप से जाने में सक्षम होना चाहिए।
- 25.5 ठेकेदार संबंधित प्राधिकारियों से वाहन के लिए प्रदूषण जांच का वैध प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और उसे नियत तारीख से पहले नवीनीकृत किया जाएगा।
- 25.6 सभी वाहनों का सभी जोखिमों (चालक और बैठने वालों सहित) के प्रति व्यापक रूप से बीमा किया जाएगा। बीमा पॉलिसी को नियत तारीख से पहले नवीनीकृत किया जाएगा।
- 25.7 निर्दिष्ट वाहन की अनुपलब्धता या तकनीकी समस्या के मामले में, ठेकेदार 1 घंटे के नोटिस के भीतर अस्थायी रूप से निर्दिष्ट वाहन के बदले समकक्ष या उससे ऊपर की स्थिति / मेक / मॉडल का वैकल्पिक वाहन प्रदान कर सकता है, लेकिन ठेकेदार को भुगतान स्वीकृत दरों के अनुसार जारी किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में ऊपर पैरा 19 में उल्लिखित जुर्माने के अलावा, ठेकेदार पर 1000/- रुपये प्रति घंटे तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 25.8 निविदाकार द्वारा भेजे जा रहे वाहन का नियमित रूप से इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में, ठेकेदार पर ऐसी प्रत्येक घटना पर 1000/- रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 25.9 टैक्सी परमिट के तहत पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्राइवेट वाहन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे वाहन के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 25.10 वाहन प्रदूषण, उत्सर्जन, शोर आदि जैसी वैधानिक आवश्यकताओं के सभी आवश्यक अनुपालन को पूरा करेगा।
- 25.11 चालक के जोखिम को कवर करते हुए प्रदान किया गया वाहन पूरी तरह से और व्यापक रूप से बीमाकृत होना चाहिए।
- 25.12 आवश्यकता के आधार पर दिन या रात में किसी भी समय एक से अधिक वाहनों को बुलाया जा सकता है। अतिरिक्त वाहन भी समान दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 25.13 मांग करने पर कार्यालय को भेजे गए वाहन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए जैसे पंजीकरण पुस्तक/डाइविंग लाइसेंस/बीमा सड़क कर/रसीद परमिट शुल्क/यात्री कर/सीमा कर/टोल टैक्स/पीयूसी इत्यादि। वाहन को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और समय-समय पर लागू होने वाले सभी सरकारी नियम और विनियम के अनुरूप होना चाहिए।
- 25.14 पंजीकरण पुस्तक/आरसी की फोटोकॉपी के साथ वाहन का विवरण निविदा (योग्यता बोली) के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।



- 25.15 ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाने वाला वाहन पूरी तरह से ठीक से काम करने की स्थिति में होना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। गंदे, शोर करने वाले और खराब रखरखाव वाले वाहन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 25.16 वाहन से कोई दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस में प्राथमिकी आदि दर्ज कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि (चालक) की होगी। सभी आरटीओ मुद्दे और यातायात उल्लंघन ठेकेदार के खाते में जाएंगे।
- 25.17 वाहन में पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए।

## 26 ठेकेदार

- 26.1. ठेकेदार किसी भी स्थिति में सेवाओं के लिए लीज/ट्रांसफर/सबलेट/कार्यवाहक नियुक्त नहीं करेगा।
- 26.2 ठेकेदार के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी समान सेवा अनुबंध में दो साल या उससे अधिक का संतोषजनक अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- 26.3 अधिकारियों के साथ सभी संचार के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस उद्देश्य के लिए उसके पास टेलीफोन और कॉल लेने के लिए कार्मिकों सहित एक उचित कार्यालय होना चाहिए।
- 26.4. असंतोषजनक या गैर-पेशेवर व्यवहार के परिणामस्वरूप अनुबंध की समाप्ति होगी। सेवा की गुणवत्ता और यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप जमानत राशि के नकदीकरण के साथ अनुबंध को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।
- 26.5 ठेकेदार अपने और अपने कर्मियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी/सभी विवादों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा और इस कार्यालय को सभी कार्यों, हानियों, नुकसानों, खर्चों और दावों के लिए क्षतिपूर्ति करता रहेगा, चाहे जो भी हो।
- 26.6 ठेकेदार अपने कर्मियों को मजदूरी/वेतन, अन्य लाभों और भत्तों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो सरकार के किसी भी अधिनियम या आदेश के तहत लागू हो सकते हैं। इस संबंध में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी./ एम.आर.एच.आर.यू. का कोई दायित्व नहीं होगा और ठेकेदार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी./ एम.आर.एच.आर.यू. को किसी भी/सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, जो विभिन्न अधिनियमों, सरकारी आदेशों आदि के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हो सकते हैं।
- 26.7. ठेकेदार अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी, सेंधमारी, आग, दुर्घटना, यातायात नियमों के उल्लंघन या किसी भी अन्य गैरकानूनी कृत्यों / कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 26.8. वाहन के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यात्रियों को किसी भी चोट या किसी अन्य नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 26.9. केवल वही ठेकेदार आवेदन कर सकते हैं जिनके वाहन को संबंधित आर.टी.ओ. द्वारा सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।



- 26.10. ठेकेदार के पास अपने कर्मचारी रोल पर प्रशिक्षित वाहनचालक होने चाहिए।
- 26.11 इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी के पास अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और स्थिति के आधार पर इसे दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले (एल 2) या तीसरे सबसे कम बोली लगाने वाले (एल 3) की एल 1 दरों पर प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, मूल अनुबंध के लिए कोई भुगतान (लंबित या भविष्य) जारी नहीं किया जाएगा।
- 26.12 मीटर रीडिंग के साथ छेड़छाड़, वाहन के उपयोग के समय, लॉग शीट की ओवरराइटिंग, कदाचार और अन्य ऐसे कृत्यों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें अनुबंध की समाप्ति और जमानत राशि को जब्त करना शामिल है।

## 27. चालक

- 27.1 ठेकेदार अच्छा व्यवहार करने वाले, विभिन्न मार्गों का ज्ञान रखने वाले वाहनचालक प्रदान करेगा जिन्हें वाहनों की मामूली मरम्मत करनी आती हो और जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, स्वच्छ वर्दी और अपने नाम का बैज भी हो।
- 27.2. चालक के पास हमेशा मोबाइल फोन होना चाहिए।
- 27.3. वाहनचालक को नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात का खाना/चाय आदि के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। स्थानीय इयूटी हो या बाहरी, हर स्थिति में ड्राइवर को इसका खर्च खुद वहन करना चाहिए।
- 27.4. इस कार्यालय द्वारा मांगे गए वाहन का चालक उस अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे वाहन आवंटित किया गया है।
- 27.5. कार्यालय परिसर के भीतर, चालक बिना अनुमति के कार्यालय/इयूटी नहीं छोड़ेगा और सामान्य कर्तव्यों के अलावा कोई निजी कार्य नहीं करेगा। यदि चालक इयूटी से अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे वाहन की अनुपलब्धता माना जाएगा और उचित दंड लगाया जाएगा।
- 27.6 चालक पूर्व में ही आवश्यकता के अनुसार अनुरक्षण कार्य, पुनः ईंधन भरने आदि का कार्य कर लेगा। इयूटी के दौरान ऐसे काम करने की ऐसी प्रत्येक घटना पर पूरे दिन के भुगतान की कटौती के बराबर जुर्माना लगेगा।
- 27.7 चालक को समय का पाबंद होना चाहिए और निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर पहुंचना चाहिए। पर्याप्त और बार-बार होने वाली देरी पर ऐसी प्रत्येक घटना के आधार पर पूरे दिन के भुगतान की कटौती के बराबर जुर्माना लगेगा।
- 27.8. वाहन चलाते समय चालकों को अपने मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए या निजी कार्यों के लिए रुकना नहीं चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने की ऐसी प्रत्येक घटना पर पूरे दिन के भुगतान की कटौती के बराबर जुर्माना लगेगा।
- 27.9 चालक को अधिकारी एवं ठेकेदार को सूचना दिए बिना छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर तत्काल दूसरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उल्लंघन होने की ऐसी प्रत्येक घटना पर पूरे दिन के भुगतान राशि की कटौती का जुर्माना लगाया जाएगा।



- 27.10 ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मियों को किसी भी समय सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा जांच के अधीन किया जाता है।
- 27.11 चालक को ओवरटाइम करने के लिए कहा जा सकता है और आवश्यकता के आधार पर छुट्टियों/सप्ताहांत और विषम समय पर बुलाया जा सकता है और उन्हें ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि चालक मना करता है या ऐसा करने में असमर्थ है, तो तुरंत एक विकल्प उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। विफलता की ऐसी प्रत्येक घटना पर 1000/- रुपये का जुर्माना लगेगा।
- 27.12 पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि के दायित्वों के निर्वहन के लिए चालक के पास पर्याप्त नकदी होनी चाहिए। इस तरह के खर्च का ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया जा सकता है। ऐसे दावों के साथ उचित सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- 27.13 चालकों के ठहरने, खाने, लाने-ले जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 27.14 चालक अच्छी तरह से योग्य होना चाहिए और पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए और चालक के रूप में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।
- 27.15 वाहन में रखी वस्तुओं/सामग्रियों की देखभाल के लिए चालक को सतर्क/सावधान रहना चाहिए।

## 28. कीमतें

- 28.1 सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध के तहत दी गई सेवाओं की दरें अपनी बोली में उद्धृत दरों से अधिक नहीं होंगी।
- 28.2 अनुबंध के पहले छह महीनों के दौरान किसी भी कारण से कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं है। अनुबंध के छह महीने के बाद ईंधन दरों में बदलाव के कारण किराए में वृद्धि या कमी की गणना की जाएगी और भुगतान तभी किया जाएगा जब आधार दर में भिन्नता (+ या -) 10% से अधिक हो। इन भिन्नताओं के कारण किराए शुल्क में इस तरह की वृद्धि या कमी की गणना निम्न सूत्र के आधार पर आधार दर से की जाएगी:

महीने के दौरान पेट्रोल/डीजल में वृद्धि या कमी =

$$\frac{\text{वाहन X द्वारा चलाए गए वास्तविक कि.मी. (संशोधित दर प्रति लीटर - आधार दर प्रति लीटर)}}{\text{औसत किलोमीटर प्रति लीटर डीजल या पेट्रोल की खपत (कि.मी.प्रति लीटर)}}$$

नोट:- पेट्रोल/डीजल की आधार दर कार्य/ठेके के प्रारंभ होने की तिथि पर प्रचलित दर है।



औसत कि.मी.प्रति लीटर को निम्नलिखित माना जाना चाहिए:

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	ईंधन का प्रकार	माइलेज (कि.मी./प्रति लीटर में)
1	इटिओज/स्विफ्ट डिज़ायर आदि	पेट्रोल	18
		डीज़ल	20
2	महेंद्रा बोलेरो आदि	पेट्रोल	10
		डीज़ल	12
3	टोयोटा इन्नोवा आदि	पेट्रोल	08
		डीज़ल	10
4	बोलेरो पिक अप आदि	पेट्रोल	08
		डीज़ल	10
5	टेम्पो ट्रेवलर 17 सीटर	डीज़ल	06

नोट:- यदि ईंधन की कीमत में कमी होती है, तो सूत्र ऋणात्मक अंक दर्शाएगा जिसका अर्थ है कि किराया प्रभार उस सीमा तक कम हो जाएगा।

28.3 ईंधन की आधार दर अनुबंध प्रदान करने की तिथि के अनुसार ईंधन की कीमत होगी, जिसे सेवा प्रदान करने पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध पर निर्धारित किया जाएगा।

29. संशोधन की सामग्री/कार्यक्रम को एनआईआईआरएनसीडी की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा और ये संशोधन सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगे।

30. इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद केवल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

निदेशक



अनुलग्नक-1

**बोली लगाने वाले की प्रोफाइल  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

1	निविदा देने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत फर्म का प्रकार अर्थात प्रोपराइटरशिप/साझेदारी या कंपनी (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
3	कंपनी/फर्म/एजेंसी के मालिक/निदेशक का नाम	
4	टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
5	टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ संचालन / शाखा कार्यालय का पूरा पता	
6	पैन / जी.आई.आर. / टैन नंबर (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	

8. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष या उससे अधिक समय से वाहन की आपूर्ति में किए गए संतोषजनक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। इसका सारांश दिए गए प्रारूप में कालानुक्रमिक क्रम में सारणीबद्ध किया जा सकता है: -

क्रम सं.	पता, टेलीफोन और फैक्स नंबर के साथ ग्राहक का विवरण	अनुबंध की राशि (रु. लाख)	अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि	
			से	तक
1				
2				
3				

(यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है, तो एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

9. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)

• नाम:

• दिनांक:

• स्थान:

• अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

• मुहर:





**डी.ओ.टी./सरकारी विभाग द्वारा सरकारी निविदा में भाग लेने से ब्लैकलिस्टिंग/गैर-ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में घोषणा।  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

मैं/हम मैसर्स -----का  
मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मेसर्स -----  
-----है, को पूर्व में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या किसी अन्य सरकारी  
संगठन द्वारा सरकारी निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में नहीं डाला गया है या प्रतिबंधित नहीं किया गया  
है।

या

मैं/हम मैसर्स -----का  
मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मेसर्स -----  
-----है, को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., या किसी अन्य सरकारी विभाग  
द्वारा दिनांक -----से प्रभावी -----वर्षों के लिए सरकारी निविदाओं में भाग लेने से  
प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अवधि दिनांक ----- को समाप्त हो गई है और अब फर्म/कंपनी  
सरकारी निविदाओं में भाग लेने की हकदार है।

यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं /हम पूरी तरह से जानते हैं कि निदेशक,  
एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर द्वारा निविदा/अनुबंध को अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा और बयाना  
राशि/जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, निदेशक, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर किसी भी पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्य  
के बिलों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

हस्ताक्षर -----

दिनांक:

नाम -----

फर्म की मुहर लगानी होगी।

क्षमता जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं:

फर्म का नाम और पता:



## घोषणा

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में ठेकेदार के किसी निकट संबंधी (रिश्तेदारों) के कार्यरत ना होने के संबंध में  
में ..... पुत्र / श्री .....

निवासी ..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित मेरा कोई भी रिश्तेदार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है, तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

निकट संबंधी (ओं) का अर्थ है:

ए) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य;

बी) जीवनसाथी।

सी) पिता, माता, बहन, भाभी, बेटी, बहू, भाई, साला आदि

स्वामित्व फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र मालिक द्वारा दिया जाएगा और साझेदारी फर्म के मामले में सभी साझेदारों द्वारा और लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा या सभी निदेशकों की ओर से कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कंपनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, निविदा/कार्य रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी स्तर पर जब भी ऐसा पाया जाएगा तो बयाना राशि/ जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यह विभाग कंपनी या फर्म या संबंधित व्यक्ति को कोई हर्जाना नहीं देगा। कंपनी या फर्म या व्यक्तियों को संबंधित इकाई में आगे की भागीदारी के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता की मुहर



**घोषणा**  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

**वेब साइट से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज की छेड़छाड़ ना करने के लिए**

मैं .....(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) एतद्वारा घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज वेबसाइट <https://eprocure.gov.in> / <https://niirncd.icmr.org.in/> से डाउनलोड कर लिए गए हैं और डाउनलोड किए गए दस्तावेज में कुछ भी जोड़ा/हटाया/सुधारा नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने बयाना राशि के लिए निविदा दस्तावेज की लागत हेतु ..... रुपये का डी.डी. संलग्न किया है।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकार की मुहर



अनुबंध -V

**घोषणा  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

**कार्यालय में भाग लेने के लिए प्राधिकरण पत्र**

सेवा में,

निदेशक,

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., नई पाली रोड,

जोधपुर

विषय: \_\_\_\_\_ (तारीख) को \_\_\_\_\_ की निविदा में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए प्राधिकार

महोदय,

निम्नलिखित व्यक्ति \_\_\_\_\_ (बोलीदाता) की ओर से ऊपर उल्लिखित निविदा के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अधिकृत हैं।

प्रतिनिधि का नाम

नमूना हस्ताक्षर

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(अधिकतम एक प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऊपर निर्धारित प्राधिकरण प्राप्त नहीं होता है तो कार्यालय में प्रवेश की अनुमति से मना किया जा सकता है।)



**बोली सुरक्षा घोषणा**  
**(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

सेवा में,  
निदेशक,  
राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान,  
(एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.),  
नई पाली रोड, जोधपुर 342005

संदर्भ: 1) निविदा संख्या----- दिनांक-----  
2) हमारी बोली संख्या ----- दिनांक-----

महोदय,

मैं/हम, ----- अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार घोषित करते हैं:

मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि निविदा शर्त के अनुसार बोली को बयाना जमा राशि के बदले में एक बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं/हम अयोग्यता/निलंबन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी अनुबंध के लिए बोली लगाने से अयोग्य/निलंबित हो सकते हैं, जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहे हों,
- 2) मैंने/हमने बोली के रूप में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि या विस्तारित अवधि के दौरान, यदि कोई हो तो, मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया हो या एकतरफा रूप से परिवर्तित/परिशोधित/संशोधित कर दिया हो।
- 3) मेरी/हमारी बोली की स्वीकृति पर, मैं/हम निर्धारित जमानत राशि जमा करने में विफल रहता हूँ या अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता हूँ या नियमों और शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन शुरू करने में विफल रहता हूँ।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम:

-----  
के लिए और की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत: ----- (बोली लगाने वाले का पूरा नाम)

दिनांक -----महीना -----दिन, -- -----वर्ष

(नोट: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली सुरक्षा घोषणा संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए जो बोली प्रस्तुत करती है)।



वित्तीय बोली

अनुलग्नक-2(i)

दैनिक आधार के लिए दरें:

वाहन का नाम	न्यूनतम रनिंग	एसी के साथ दरें	जी.एस.टी.	250 किमी. के बाद प्रति किमी दर	08 घंटे के बाद प्रति घंटे की दर
इटिओस/स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष	250 किमी 08 घंटे प्रतिदिन				
महिंद्रा बोलेरो या समकक्ष	250 किमी 08 घंटे प्रतिदिन				
टोयोटा इनोवा या समकक्ष	250 किमी 08 घंटे प्रतिदिन				
टैपो ट्रेवलर 17 सीटर या समकक्ष	250 किमी 08 घंटे प्रतिदिन				

- लागू जीएसटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए

वित्तीय बोली

अनुलग्नक-2(ii)

मासिक आधार के लिए दरें:

वाहन का नाम	न्यूनतम रनिंग	एसी के साथ दरें	जी.एस.टी.	2000 किमी. के बाद प्रति किमी दर
इटिओस/स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष	2000 किलोमीटर मासिक			
महिंद्रा बोलेरो या समकक्ष	2000 किलोमीटर मासिक			
टोयोटा इनोवा या समकक्ष	2000 किलोमीटर मासिक			
टैपो ट्रेवलर 17 सीटर या समकक्ष	2000 किलोमीटर मासिक			

- लागू जीएसटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए